

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक: 349

दिनांक: 02.05.2025

- कार्यालय आदेश -

मैं, कालूराम, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 के माह मई 2025 में दिनांक 31.05.2025 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु झुंझुनू न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेटस को अधिकृत करता हूँ:-

क्र.सं.	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम व पद
01.	04.05.2025	श्री आकाश कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
02.	10.05.2025	श्रीमती जया सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
03.	11.05.2025	श्रीमती जया सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
04.	18.05.2025	श्रीमती पूजा सिंह, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), झुंझुनू
05.	24.05.2025	सुश्री सुमन चौधरी, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
06.	25.05.2025	सुश्री सुमन चौधरी, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
07.	29.05.2025	श्रीमती रंजना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
- उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनू की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किया जाने के उपरांत ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा।
- तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
- अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमांड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

CJM Jhunjhunu
Digitally signed by
KALU RAM
Location Jhunjhunu
Date: 2025.05.02
13:23:36 +0530

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनू (राज.)

क्रमांक: 350-360

दिनांक: 02.05.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), झुंझुनूं
7. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
8. प्रभारी अधिकारी, वायरलेस शाखा, झुंझुनूं।
9. अध्यक्ष, बार संघ, झुंझुनूं।
10. जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
11. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

CJM Jhunjhunu
Digitally signed by
KALU RAM
Location: Jhunjhunu
Date: 2025.05.02
13:23:36 +0530

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)